सहारा योजना

स्वास्थ्य सुरक्षा में सरकार की एक नई पहल

प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो कुछ निर्दिष्ट रोगों से पीड़ित हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा व वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहारा योजना को प्रांरभ किया गया है। इसका उद्देश्य लंबी अवधि तक उपचार के दौरान रोगियों व उनके परिचरों को आने वाली वित्तीय और अन्य समस्याओं से निजात दिलाना है।

इस योजना के अंतर्गत होने वाली निम्न बिमारियों पर अनुदानः–

- पार्किसंस रोग
- घातक कैंसर रोग
- मस्कूलर डिस्ट्रॉफी
- हिमोफीलिया
- थैलीसिमिया
- गुर्दे की विफलता
- अन्य कोई रोग जो स्थायी रूप से किसी रोगी को अक्षम करते हों

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जो एकल परिवार में रहते है, **2000रूपये** की मासिक वित्तीय सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। यह वित्तीय सहायता लाभार्थी के सीधे खाते में जमा होगी।

निर्धारित प्रपत्र के साथ दिए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़

–बिमारी के दस्तावेज
–फोटो पहचान पत्र
–आय प्रमाण पत्र
–स्थायी प्रमाण पत्र
–बी.पी.एल प्रमाण पत्र
–बैंक खाते की पूर्ण जानकारी
–जीवन प्रमाण पत्र–

उक्त दस्तावेज के साथ अपने क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, खण्ड चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें।

इस योजना के अतंर्गत सरकारी एवं पैंशन भोगी व्यक्ति जो कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ उठाते है, इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

यह योजना निश्चित रूप से आर्थिक रूप से कमजोर प्रदेश वासियों के बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और हम स्वस्थ प्रदेश की परिकल्पना को सार्थक सिद्ध कर पाएंगें।

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
हिमाचल प्रदेश

स्वास्थ्य में सहभागिता योजना

बहुविशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं अब घर–द्वार के करीब

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हि0प्र0 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु निजी क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं की सहभागिता व निवेश को बढाने के लिए **स्वास्थ्य में सहभागिता योजना** आरंभ की गई है।

इस योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्रीय अस्पताल व आँचलिक अस्पताल अथवा योजना के तहत खोले गए अन्य निजी अस्पताल के 10 किलोमीटर के दायरे से बाहर कोई भी निजी स्वास्थ्य संस्थान खोला जा सकता है।

खोले जाने वाले बहु विशेषज्ञ अस्पताल के लिए दी जाने वाली अनुवृति subsidy

–दो करोड रूपये का निवेश करने पर 25 प्रतिशत पूंजीगत अनुवृति (capital subsidy) देने का प्रावधान है।

–डेढ करोड़ रूपये के ऋण पर 5 प्रतिशत interest subsidy 3 वर्ष के लिए दी जाएगी।

–सुपर स्पैशिलिटि अस्पताल कहीं पर भी खोला जा सकता है, जिसमें 10 किलोमीटर की बाध्यता नहीं होगी तथा 25 प्रतिशत capital subsidy का प्रावधान है जोकि 5 करोड़ रूपये के निवेश तक प्रदान की जाएगी।

–सुपर स्पैशिलिटि अस्पताल के लिए 5 प्रतिशत interest subsidy 3 करोड़ रूपये के ऋण के लिए 3 वर्ष तक प्रदान की जाएगी।

सुपर स्पैशिलिटि अस्पताल में दी जाने वाली सेवाएं

–कार्डियोलोजी
–न्यूरोसर्जरी
–पीडियाट्रिक सर्जरी
–प्लास्टिक सर्जरी

–अन्य कोई भी सुपर स्पैशिलिटि सेवाएं–

निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता इस योजना में अपनी सहभागिता जताकर प्रदेशवासियों को उनके घर–द्वार के करीब उत्कृष्ट एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। स्वास्थ्य में सहभागिता योजना की अधिक जानकारी विभाग की website www.hphealth.nic.in पर उपलब्ध हैं।

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
हिमाचल प्रदेश